उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण
के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे
शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार
रुक रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्य
वाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
नम्बर से कम हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:54 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 10/23 प्रा० पत्र

राहुल s/o शांतिलाल पोरवाल निवासी- गेटकरोड भीलवाड़ा तहसील- भीलवाड़ा [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

रतनलाल s/o श्री बालु नाई निवासी- नानकपुरा तहसील- मांडल [वगैरा] (हस्ताक्षरित प्राoपत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनाक :– 07-02-23

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन क ग्राम नानकपुरा पटवार हल्का दांतांकला तहसील माण्डल में उसके बत खाते की आराजी नं. हस्ताक्षरित पिछले पृष्ठ पर कुल किता 10 रकवा 1.6431 थत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाशिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

र्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नानकपुरा पटवार कला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. हस्ताक्षरित पिछले पृष्ठ पर अंकित 10 रकवा 1.6431 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख माण्डल को 600/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने न की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए तकनीकि विन्दु को आधार थगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी